

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक-अवध विहार योजना

पंचम तल, आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

website:www.upavp.in, e-mail:avadhvihariko@upavp.com

/सं०प्र०अवध विहार योजना/मूखण्ड संख्या-..... (प्रदेशन पत्र)

प्रदेशन पत्र



दिनांक

पंजीकृत

श्री/श्रीमती/कु० _____

पत्न/पुत्र/पुत्री _____

निवासी _____

सोदया,

0प्र० आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (शहीद-पथ) लखनऊ के सेक्टर-..... में सामान्य अन्तर्गत मूखण्डों हेतु दिनांक-..... को सम्पन्न पंजीकरण पात्रता चयन झा के फलस्वरूप चयनित होने एवं दिनांक-..... सम्पन्न नम्बरिंग लाट्री झा के फलस्वरूप मूखण्ड संख्या-..... आवंटित किया गया है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

विवरण	लखनऊ
नाम :	अवध विहार योजना
पति :	किशत
पति :	मूखण्ड
पति : वर्ग मीटर
क्षेत्रफल :	
कुल मूल्य	रु०
मूल्य	रु०
ज @10%	रु०
ज @12%	रु०
कुल का मूल्य	रु०

विवरण	चालान संख्या	रु०
(ख) पंजीकरण धनराशि		रु०
(ग) विविध शुल्क		रु०
अनुबन्ध पुस्तिका		रु०
विज्ञापन शुल्क		रु०
विलेख निष्पादन शुल्क		रु०
अग्रिम जल मूल्य		रु०
साईट प्लान शुल्क		रु०
जल/मल संयोजन व्यय		रु०

विवरण	रु०
कुल योग	रु०
विद्युत मद् में व्यय की धनराशि	रु० 0.00
कब्जे से पूर्व जमा करनी होगी	
(घ) विविध शुल्क पर देय G.S.T.	रु०

धनराशि	रु०
पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन	
जमा की जाने वाली धनराशि	रु०
धनराशि	रु०
गणना हेतु अवशेष धनराशि	रु०

मासिक किर्तों 11.50% ब्याज सहित रु० जमा करनी होगी, जोकि प्रदेशन पत्र के अनुसार दिनांक से देय है।

धनराशि एवं अध्यावधिक किर्तों का भुगतान ऐक्सिस/आन्धा बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिक आई.डी./ई-चालान पर जमा कर रसीद प्रस्तुत करके विवरण के अंश (क) की धनराशि संग्रह खाते में अंश (ग) की धनराशि विविध शुल्क तथा अंश (घ) की धनराशि टैक्स के मद् में दिनांक तक आन्धा बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिक आई.डी./ई-चालान पर जमा की जानी होगी।

भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 13.50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

औपचारिकताएँ/धनराशि समयान्तर्गत पूर्ण न करने की स्थिति में रु० प्रतिदिन की दर से रख रखाव शुल्क देय होगा।

य के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन हुआ तो तदनुसार भुगतान करना होगा।

पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा।

त के अतिरिक्त शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेश परिवर्तित/लागू होंगे।

प्राप्त प्रस्तुत आय/जाति प्रमाण पत्र में कमी भी जांच/सत्यापन के उपरान्त असत्य पाये जाने पर भवन/मूखण्ड निरस्त कर जमा धनराशि जब कब्जा वापस ले लिया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

पत्र निर्गत होने के एक माह (60 दिन) के अन्दर भवन के कुल मूल्य का भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

सामान्य आवासीय सम्पत्ति के आवंटी उक्त वांछित धनराशि जमा न करने पर इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो निर्धारित पंजीकरण धनराशि का बीस प्रतिशत जब करते हुए आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कर जायेगा। तीन माह के पश्चात आवंटी के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर निर्धारित पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत

से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण एवं प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवंटित सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी। मूखण्ड को किसी भी ऋण देने वाली संस्था के पक्ष में बंधक रखने में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्र अनन्तिम है। फाइनल प्रदेशन पत्र के अनुसार औपचारिकताओं की पूर्ति करने एवं "शासन द्वारा निर्दिष्ट स्टाम्प ड्यूटी अदा कर निबंधन के पत्र का कब्जा प्रदान किया जायेगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

क्रमशः 2 पर

श :-

राशि/औपचारिकताएं दिनांक तक जमा न होने की दशा में रु0 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
वटियों की सुविधा हेतु परिषद द्वारा "ऑन-लाइन भुगतान" व्यवस्था संचालित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से आवंटी परिषद वेबसाईट
मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक "GENERATION E-CHALLAN" पर स्वयं को रजिस्टर करते हुए किशतों आदि का ऑन-लाईन
www.upavp.in भुगतान कर सकते हैं।
पंजीकरण सत्यापन की शर्त के अधीन जारी इस अनन्तितम आवंटन पत्र/कब्जा पत्र पंजीकरण की वैधता की पुष्टि के उपरान्त ही जारी होगा।
दिनांक तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :-

1. देय सम्पत्ति के निबंधन हेतु रु0+10+10 के स्टाम्प पेपर पर फी-होल्ड पुस्तिका में दिये गये प्रारूप के अनुसार टंकित कराकर
स्तुत करें, 03 नग साइट प्लान, कार्यालय अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड-..... वृन्दावन आफिस काम्प्लेक्स, लखनऊ से प्राप्त करें तथा
नी पासपोर्ट साइज स्वयं की फोटो व आई0डी0 एवं गवाह की दो फोटो एवं पहचान पत्र।
2. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रति मूलरूप में जमा करें।
3. 100.00 के एक सादा नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
4. राजपत्रित अधिकारी से अपने नाम, पते सहित प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ की दो प्रति प्रस्तुत करें।
5. अनलिखित प्रारूप में रु0 10.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मैजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।

नोट :- रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ-पत्र का प्रारूप

समक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

श्री/श्रीमती/कुमारी..... उम्र.....वर्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
.....पूर्वक बयान करता/करती हूँ :

भारत का नागरिक हूँ।

स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सम्पत्ति जहाँ है, जैसे है, के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ।

/मेरे पति/पत्नी व अथवा अवयस्क बच्चों की वित्तीय वर्ष की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रु0..... से अधिक नहीं

परिषद के पंजीकरण/आवंटन सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें मान्य होंगी।

शपथी के हस्ताक्षर

एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कमांक-1 से कमांक-4 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास
में है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथी के हस्ताक्षर

लिए प्रारूप-फोटो एवं हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने हेतु (दो नग)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पत्नी श्री..... निवासी.....को भली-भाँति जानता व पहचानता हूँ। इनके हस्ताक्षर
द्वारा नीचे प्रमाणित किये जाते हैं।

क्षर :

फोटो
छिपकायें

आश्वासन पत्र प्रारूप

आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में भूखण्ड संख्या---..... आवंटित हुआ है।
मूल्य का भुगतान करने के उपरान्त हम उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित करा रहा हूँ/रही हूँ यदि भविष्य में उक्त भूखण्ड के विक्रय
देय निकलती है, तो परिषद नियमानुसार उक्त धनराशि को दण्ड ब्याज सहित निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु मैं बाध्य हूँगा/हूँगी। भूखण्ड
..... का व्यवसायिक प्रयोग मैं भविष्य में नहीं करूँगा/करूँगी।

(.....)

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी.....

अध विहार योजना लखनऊ में स्थित भूखण्ड के सापेक्ष भुगतान हेतु ऐक्सिस/आन्धा बैंक चयनित हैं। इन बैंकों के
परिषद की वेब-साईट www.upavp.in पर स्वयं अपना ई-चालान बनायें अथवा सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार
दावन आफिस काम्प्लेक्स, प्रथम तल पर आकर ई-चालान बनवा सकते हैं।

"हमारा प्रयास सबका आवास।"